मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

हुड्डा की छूट से बिल्डर की लूट
न्यूनतम वेतन पर हरियाणा सरकार की बाजीगरी 3

भारतीय गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष कब था
राहुल बाबा 'वेल' में... 4

झूठ का पुतला एसी चौधरी
शिव सेना के पर्याय हैं राड़ा और खड़नी 5

चुनाव की आई बहार,
हर कोई दांव लगाने को बेकरार 8

वर्ष 27 अंक 19 फरीदाबाद, शनिवार, 16-31 अगस्त 2014 फोन : - 9999595632 ₹ 2

अम्बानी और माल्या अभी तक जेल से बाहर !

मोदी सरकार को मजबूरी में दिल्ली हाई कोर्ट में कहना पड़ा कि केजरीवाल सरकार ने मुकेश अम्बानी और वीरप्पा मोइली के खिलाफ़ ठीक ही दर्ज किया था। गैस कांड में मुकदमा। इसी तरह विजय माल्या द्वारा बैंकों का 7000 करोड़ डकारने का मामला भी सी बी आई जांच का विषय बन कर लटक रहा है। सवाल है कि इन डकैतों को पहले की सोनिया-मनमोहन सरकार की तर्ज पर आज की मोदी सरकार भी तिहाड़ जेल भेजने से क्यों कतरा रही है ?

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

यह किसी को बताने की जरूरत नहीं कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार कोई भी दल या गठबंधन चला रहा हो, चलती पूंजीशाहों की ही है। चले भी क्यों न जब उन्हीं के पैसों से तमाम पार्टियां व नेतागण सत्ता में अपनी हिस्सेदारी पुख्ता करते हैं। मुकेश अम्बानी और विजय माल्या आज के दिन देश के सबसे बड़े सीनाजोर ठग हैं। ये डंके की चोट पर सरकारों से जनता को लूटने का लाइसेंस वसूल करते हैं। सामने चाहे चिदम्बरम-मनमोहन हों या मोदी-जेटली

यह प्रसंग कई बार जनता के सामने आ चुका है कि कैसे एक डॉलर कीमत की गैस को कांग्रेस सरकार 8 डॉलर में बेचने की अनुमति मुकेश अम्बानी को देने के लिये बेचैन थी। यह भी सामने आ चुका है कि उस दौर में उसी गैस को बतौर मुख्यमंत्री गुजरात, नरेन्द्र मोदी 16 डॉलर में बेचने की अनुमति देने की सिफ़ारिश कर रहा था। इनके दुर्भाग्य से 49 दिनों के लिये दिल्ली में 'आप' पार्टी की सरकार आ गयी और उन्होंने इस ठगी का संज्ञान लेते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में मुकेश अम्बानी और वीरप्पा मोइली के अलावा कांग्रेस सरकार के पहले तेल मंत्री मुरली देवड़ा को भी नामजद आरोपी बनाया गया था।

नरेन्द्र मोदी की भूमिका अभी सिफ़ारिशी तक सीमित थी, अन्यथा वह भी नामजद होता। अब मोदी स्वयं भारत सरकार है। जनता को तरह-तरह के गच्चे देकर इस सत्ता का स्वाद नसीब हुआ है। अगले चंद महीनों में 4-5 राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इन सबके चलते मोदी-जेटली को आशंका रही होगी कि यदि वे खुलेआम अम्बानी का पक्ष लेते हैं तो केजरीवाल एंड कम्पनी को अपने ऊपर हल्ला बोलने का एक और अवसर देंगे। इसलिये दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी सरकार को केजरीवाल की एफ आई आर का समर्थन करना पड़ा है।

इसी आशंका के चलते मोदी सरकार को अम्बानी पर गैस का उत्पादन जानबूझकर कम करने के एवज में 4000 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाना पड़ा है। ध्यान रहे कि इसी नुक्ते पर मोइली के पहले के कांग्रेसी तेल मन्त्री जयपाल रेड्डी ने भी अम्बानी पर 7000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसके एवज में रेड्डी से तेल मंत्रालय छीन कर अम्बानी के टुकड़खोर मोइली को दे दिया गया था। न रेड्डी का लगाया गया जुर्माना अम्बानी ने भरा और न मोदी का लगाया वह भरने वाला है। देर-सबेर वह सरकार से या न्यायालय से अपना 'समाधान' करा ही लेगा।

उधर विजय माल्या तमाम सरकारी बैंकों के 7000 करोड़ डकारे बैठा है और आराम से जुगाली कर रहा है। इनमें अकेले एस.बी.आई. के 1600 करोड़ रुपये हैं। कायदे से इन बैंकों के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार को तुरन्त आपराधिक मुकदमें दर्ज करने चाहिये थे और माल्या समेत उसकी कम्पनियों के तमाम जालसाज़ों को जेलों में डालना चाहिये था। पर सारी जालसाज़ी को सी बी आई के बस्ताखामोशी के हवाले कर दिया गया है।

दिलचस्प बात इसी बीच यह हुई कि एक प्राइवेट बैंक एच डी एफ सी ने विजय माल्या को 5000 करोड़ का कर्ज और दे दिया। माना जाता है कि इस बैंक ने ऐसा एक आपराधिक षड़यन्त्र के तहत किया है। दरअसल माल्या ने अपने मुख्य धंधे शराब की कम्पनी यूनाइटिड ब्रूवरीज़ को एक विदेशी कम्पनी के हाथों बिना बैंकों के कर्जे उतारे बेच दिया है। इसके खिलाफ़ कर्जा देने वाले बैंक अदालतों के धक्के खा रहे हैं। शराब का धंधा बेचने में भी माल्या ने जम कर धांधली की है और बिक्री-राशि बहुत घटा कर दिखाई है। ताकि कर्ज देने वाले बैंकों को इस सौदे से कम से कम रकम देनी पड़े। भरपाई के लिये एच डी एफ सी का कर्ज दिखाया गया है। यह कर्ज भी फ़िलहाल सी बी आई जांच के ठंडे बस्ते को ही गर्मी पहुंचा रहा है।

चंद हज़ार कर्ज की वसूली के लिये किसानों को जेल में डालने वाली सरकारों का यह दोगला रवैया कोई नई बात नहीं है। एक मध्य वर्गीय व्यक्ति यदि कुछ लाख रुपये बैंक से कर्ज ले ले और चुकता न कर पाये तो उसकी कुड़की की नौबत आ जाती है। जबकि मुकेश अम्बानी व विजय माल्या जैसों पर नज़र डालने में भी मीडिया और सरकार को पसीने छूटते हैं।

इस मौके पर जनवरी 2009 के सत्यम घोटाले को याद करना भी संगत होगा। सत्यम के चेयरमैन रामलिंगा राजू समेत इस कम्पनी के तमाम बड़े अधिकारियों पर 7136 करोड़ के घोटाले का मुकदमा अभी भी अदालत में चल रहा है। अगर राजू आदि को सज़ा भी हो गयी तो अपीलों में दसियों साल और गुजर जायेंगे। इस बीच ये सारे महाठग जमानत पर रह कर लूट के माल का आनंद उठाते रहेंगे। मोदी के 'विकास' का मॉडल भी क्या वही नहीं है जो सोनिया-मनमोहन का रहा था?

हुड्डा-वाड्रा- डी एल एफ को भी जेल नहीं मोदी ?

लोकसभा चुनावों को अभी तीन माह भी नहीं बीते और मोदी एंड कम्पनी द्वारा सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा पर जालसाज़ी के आरोपों की प्रतिध्वनि हवा में ताज़ा है। पर मामला पूरी तरह बस्ताखामोशी में डाल दिया लगता है।

जालसाज़ी का ऐसा सीनाजोर प्रकरण कम ही देखने को मिलता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व रीयल एस्टेट की बड़ी कम्पनी डी एल एफ ने वाड्रा के साथ आपराधिक षड़यन्त्र में शामिल होकर उसे मात्र 30 दिन में 200 करोड़ का फ़ायदा कराया था। डी एल एफ ने वाड्रा को 50 करोड़ का कर्जा दिया, वाड्रा ने इस पैसे से डी एल एफ की ही ज़मीन का लैंड यूज बदल कर उसे व्यवसायिक/रिहायशी भूखंड बना दिया। अब वाड्रा ने वही ज़मीन वापस उसी डी एल एफ को 250 करोड़ में टिका दी।

साक्षात जालसाज़ी का यह मामला भी मोदी से सिरे नहीं चढाया जा रहा। कारण भी सभी को पता है। जालसाज़ी में डी एल एफ शामिल है और डी एल एफ में भाजपाईयों की भी काली कमाई लगी हुई है। साथ ही डी एल एफ भाजपा को भी उसी तरह नवाजती आई है जैसे कांग्रेस को। कहने को मोदी और उसके लगुए-भगुए बहाने बना सकते हैं कि मामला राज्य सरकार है। वे यह भी कहते रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा सवाल है कि कानून अपना काम कब करेगा? वाड्रा ने ऐसी ही जालसाज़ी राजस्थान में भी कर रखी है जहां भाजपा की ही सरकार है। वहां भी कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा? दरअसल मोदी का ट्रेक रिकार्ड भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का कभी रहा ही नहीं है। हो भी कैसे जब वह स्वयं भ्रष्टाचार में पलने बढने वाले पूंजीशाहों की देन है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। विकसित राष्ट्रों में ऐसे भ्रष्टाचार को एक क्षण के लिये भी बर्दाशत नहीं किया जाता। अमेरिका ने अपनी महा कम्पनी 'एनरॉन' के अध्यक्ष जैफ़्री स्किलंग की धोखा-धड़ी पकड़े जाते ही 2006 में 24 साल के लिये जेल भेज दिया था। जबकि इसी एनरॉन ने महाराष्ट्र में कई पावर प्रोजैक्ट भारतीय नेताओं व नौकरशाहों को घूस देकर हासिल किये थे, जिन पर लीपा-पोती कर दी गयी। इसी तरह भारतीय मूल के अमरीकियों राजरत्नम और रजत गुप्ता को शेयर धोखाधड़ी के मामले में न्यूयार्क की अदालत में चन्द महीनों में ही सज़ा सुन कर जेल भेज दिया था। यानी सारा मामला नीयत का है खोटी नीयत से मोदी तो क्या मोदी के फरिश्ते भी देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते।

खबर दार

ई रिक्शा की शिक्षा: मेहनतकश मांगे भिक्षा एक लाख हुए बेरोज़गार-कौन है जिम्मेदार

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली के एक लाख ई रिक्शा चालकों को बिना चेतावनी एक झटके में हलाल कर दिया। एकदम असंवैधानिक आदेश सुनाते हुए 'माननीय' जज ने संविधान की सबसे प्रमुख धारा 14 को इन एक लाख परिवारों के लिए खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय और तमाम उच्च न्यायालयों के कितने ही फ़ैसले हैं जो धारा 14 में जीवन के मूलभूत अधिकार के अन्तर्गत रोज़गार के अधिकार की स्वीकृति की घोषणा करते हैं। मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से ही किया जा सकता है। अत: यह समझ से बाहर है कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक न्यायाधीश ने किस आधार पर इस महत्वपूर्ण धारा को ई रिक्शा वालों के जीवन से उठा कर ताक पर रख दिया।

यूं तो मेहनतकश हमेशा हरामखोरों के हाथों पिसता आया है पर उपरोक्त मिसाल अपने आप में कोई सानी नहीं रखती। उपरोक्त मामला कुछ दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जा रहा था। इसी दौरान इन एक लाख रिक्शा वालों में से एक की टक्कर से एक बच्चा मां की गोद से उछल कर सड़क पर लगी भट्टी पर रखे खौलते कड़ाहे में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गयी। कायदे से नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को जेल भेजकर महिला को उचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिए था। यह तो हुआ नहीं। बल्कि भट्टी वाले और ई रिक्शा चालक का चालान करके सरकारी कर्त्तव्य की इतिश्री कर दी गयी।

लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के 'माननीय' को अपनी 'न्यायप्रियता' दिखाने का अवसर जरूर मिल गया। इस घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्होंने दिल्ली में ई रिक्शा पर ही रोक लगा दी और इस तरह एक लाख परिवारों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया। जज महोदय की जिद है कि जब तक सरकार ई रिक्शा चलाने के नियम कानून बनाकर उनके समक्ष पेश नहीं करती, वे ई रिक्शा पर से प्रतिबंध नहीं उठायेंगे।

क्या 'माननीय' जज के पास और कोई विकल्प नहीं था? महीनों से सरकार के पास मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन विचाराधीन है कि ई रिक्शा को इसके दायरे में लाया जाये। यदि 'माननीय' जज को इतनी ही जल्दी थी तो उन्हें परिवहन मन्त्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों को 24 घंटे में नियमों में उचित संशोधन करने का आदेश करना चाहिये था। ऐसा न करने पर अदालती अवमानना के जुर्म में उन्हें तब तक जेल में रखना चाहिये था जब तक कि नये नियम न बन जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था यदि जज महोदय गरीब ई रिक्शाचालकों की तर.फ़ से सोचते।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला वर्गीय विदेश का जीता जागता उदाहरण है। इस विदेश के चलते शासकों द्वारा हर मेहनतकश की मज़दूरी बांध दी जाती है। चाहे वह रिक्शा वाला हो, ई रिक्षा वाला हो, आटो रिक्शा वाला हो, कुली हो, औद्योगिक या खेतिहर मज़दूर हो। जबकि इन्हीं शासकों ने उच्चवर्गीय पेशेवरों को मनमानी फ़ीस वसूलने की छूट दी हुई है। वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, प्राईवेट शिक्षण संस्थान, होटल-रेस्तरां, एयरलाइन इत्यादि सभी अपनी मर्जी और ग्राहक की जेब के मुताबिक पैसे वसूलने को स्वतंत्र हैं। सम्बन्धित जज साहब से तो एक सवाल और भी बनता है। उनके अपने उच्च न्यायालय में बरसों से मुकदमे लम्बित चले आ रहे हैं। इसके चलते हज़ारों व्यक्तियों को धन एवं समय की क्षति तथा शारीरिक-मानसिक तनाव भुगतना पड़ता है। कई तो 'न्याय' मिलने की प्रतीक्षा में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ऐसे में क्यों न इन न्यायालयों को बन्द कर जजों को भी कार्यमुक्त कर दिया जाय? ऐसे में सवोच्च न्यायालय क्या कर रहा है? रोज संविधान की धारा 14 की दुहाई देनेवाले सर्वोच्च न्यायालय के जजों को क्या यह अंधेरगर्दी नहीं दिखाई दे रही? प्रधानमंत्री मोदी, परिवहन मंत्री गडकरी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगती? क्योंकि ई रिक्शा वाले उनके अपने वर्ग के जो नहीं हैं और कुछ महीने धारा 14 के संरक्षण से वंचित रह लेंगे। न सरकार की चिन्ता बनती है, न सवोच्च न्यायालय को फ़िक्र है।

कासनी का तबादला, समस्या जस की तस

मज़दूर मोर्चा, चंडीगढ ब्यूरो

मुख्यमंत्री भूपेन्द्रसिंह हुड्डा के असंवैधानिक एवं जनविरोधी कार्य-कलापों में रोड़े अटकाने वाले आई ए एस अधिकारी प्रदीप कासनी को प्रशासनिक सुधार विभाग से हटा दिया गया है। उन्हें पंचकुला स्थित काडा (कमांड एरिया डेवेलपमेंट ऑथोरिटी) का प्रशासक तथा एड्स नियन्त्रण विभाग का कार्य सौंपा गया है।

विदित है कि नवनियुक्त राज्यपाल कप्तान सिंह सोलेकी ने हरियाणा सरकार से गत पखवाड़े नियुक्त हुए सूचना आयुक्त व आर टी एस (सेवा का अधिकार) आयुक्तों के बारे में रिपोर्ट मांग रखी है। गतांक में बताया गया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए 27 जुलाई को गुपचुप तरीके से अपने आवास पर आयुक्तों को शपथ दिलाई थी। इतना ही नहीं, पहली अगस्त को शतीशचन्द्र चौधरी को भी शपथ दिला दी गयी जो 31 जुलाई को हरियाणा के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे।

राज्यपाल द्वारा मांगी गयी रिपोर्ट वास्तव में प्रशासनिक विभाग द्वारा भेजी जानी है, इसलिये वहां से प्रदीप कासनी को हटा कर एक अन्य सुविधाजनक आई ए एस अधिकारी अशोक सांगवान को विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। सांगवान हारट्रोन के प्रबन्ध निदेशक हैं। हारट्रोन हरियाणा सरकार का एक ऐसा निगम है जहां पर राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं उनसे सम्बन्धित तमाम गतिविधियों का संचालन, निर्देशन एवं क्रय-विक्रय होता है।

शेष पेज पांच पर

15 अगस्त पर विशेष

ये भी 'जिहादी' वो भी 'जिहादी'
ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जायें
अगर परिंदे भी हिन्दू और मुसलमान हो जायें
सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गये...
न जाने कब नारियल हिन्दू और खजूर मुसलमान हो गये
न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं
जो भूखे पेट होते हैं, वे सिर्फ़ निवालों को जानते हैं
मैं अमनपसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो...
लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो